भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4207

(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर विषय-वस्तु का मॉडरेशन

4207. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री तापिर गावः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए विनियमन मॉडल क्या है और उनके लिए अनुपालन हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए अपनी आंतरिक विषय-वस्तु के मॉडरेशन और आयु वर्गीकरण प्रक्रियाओं का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा उल्लंघन किए जाने के मामले में कठोर दंड लगाने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित संशोधनों और दंड का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित भाग-III में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करें जो वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा

निषिद्ध है और वे नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण निम्नानुसार 5 श्रेणियों में करें:

सामग्री की प्रकृति (के लिए उपयुक्त)	**वर्गीकरण**
अप्रतिबंधित पहुंच, सभी आयु वर्गो के लिए और परिवार सहित देखने लायक	यू
7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तथा 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 7+
13 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तथा 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 13+
16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, तथा 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 16+
केवल वयस्कों के लिए	ए

इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में उचित सरकारों द्वारा गैरकानूनी कार्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

सरकार मौजूदा सांविधिक ढांचे के तहत अश्लील सामग्री की होस्टिंग/स्ट्रीमिंग के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

*****